2203
16/3/16

निविदा सूचना

44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ के परिसर में चाय, शीतल पेय, मिठाई, नमकीन इत्यादि जलपान सामग्री बेचने के लिये वेट कैन्टीन हेतु एक ठेकेदार को नियुक्त करनें के लिये सीलबन्द लिफाफे में टेण्डर आमंति किये जाते है।

कैन्टीन को ठेके पर लिये जाने हेतु सील्ड बन्द निविदाऐ मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 26.03.2016 को दोपहर 12.00 बजें तक प्राप्त हो जानी चाहिऐ। लिफाफे के उपर कैन्टीन मर्चेन्ट के लिये टेण्डर लिखा होना चाहिऐ। विलम्ब से अथवा अधूरी प्राप्त होने वाली निविदाऐ स्वीकार नही की जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र, जो 44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ के अन्तर्गत प्रधान लिपिक शाखा से नकद रू0 100– का भुगतान प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है, पर होनी आवश्यक है, जो उसी दिन 26.03.2016 को दोपहर 02.00 बजें कार्यालय में वाहिनी के उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

सेनानायक को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है। अस्वीकार की गयी निविदा के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नही होगे। प्रत्येक निविदा के साथ रू0 1000– अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी उसे सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर (एग्रीमेन्ट डीड) नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। जिसके प्रतिबन्धों के लिये वह बाध्य होगा।

स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को सूचना के एक सप्ताह के अन्दर एक माह के किराये के बराबर धनराशि बतौर जमानत के वाहिनी एमेनिटीज फण्ड में आंकिक के पास जमा करनी होगी। यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट डीड) नही भरता है अथवा जमानत की धनराशि जमा नही करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुऐ दूसरे व्यक्ति को निविदा स्वीकार की जा सकती है अथवा पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सेनानायक जो उचित समझे कर सकते है।

कैन्टीन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि ठेकेदार कैन्टीन बन्द करता है तो ठेकेदार के द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के आधार पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी।

निविदा की शर्ते

1– खाद्य सामग्री की क्वालिटी एवं कीमत प्रत्येक माह वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी से अनुमोदित करानें के उपरान्त ही विकय की जा सकेगी।

2– किसी नशीले पदार्थ गुटका/सिगरेट/बीडी/तम्बाकू आदि का विकय नही किया जायेगा।

3– ठेका मिलने वाले व्यक्ति को बटालियन एमेनिटीज फण्ड रिबेट नही होगा। रिबेट देने वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृति पर सेनानायक द्वारा विचार किया जायेगा।

4– ठेकेदार कैन्टीन में को–आपरेटिव डेयरी का दूध प्रयोग करनें के लिये बाध्य होगा। किसी भी दशा में प्राईवेट ठेकेदार से दूध का कय नही करेगा। इस अनियमित्ता का दोषी पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

5– ठेकेदार को निम्न शर्तो पर आधारित फार्म भरना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करे जिनको शर्ते स्वीकार होगी –

केन्टीन भवन का किराया	रू0 200– प्रतिमाह देना होगा।
रिकियेशन व्यय	रू0 50– प्रतिमाह देना होगा।

बिजली चार्जेज मीटर रीडिंग की दर से प्रतिमाह देना होगा।

6– कैन्टीन का ठेका दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक रहेगा।

7– ठेकेदार उक्त कैन्टीन में एवं उसके आस पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन सेनानायक की पूर्व अनुमति के बिना नही करेगा।

8– ठेकेदार कैन्टीन एवं उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखेगा।

9– ठेकेदार कैन्टीन में किसी अधिकारी /कर्मचारी का व्यक्तिगत कच्चा अथवा पक्का सामान या आपत्तिजनक वस्तुत नही बेचेगा।

10– केन्टीन में कोई नशीली वस्तु, तस्कर का सामान, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामान या अन्य आपत्तिजनक सामान नही बेचेगा।

11– कैन्टीन में राशन कार्ड का कोई सामान नही बेचेगा।

12– ठेकेदार एक माह में मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रू0 400– प्रतिमाह एवं दलनायक/गुल्मनायक को रू0 500– प्रतिमाह से अधिक धनराशि का सामान उधार नही देगा। यदि देता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहिनी के किसी अधिकारी की नही होगी।

13– कैन्टीन में कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति नोकर के रूप में नही रखेगा।

HCTS
DIGTS 16/3/16
website

14– ठेकेदार द्वारा दैनिक जलपान की वस्तुऐ पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छी क्वालिटी की कैन्टीन में रखनी होगी।
15– कैन्टीन खुली होने पर सेनानायक अथवा वाहिनी के अन्य राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के कैन्टीन का निरीक्षण कर सकते है।
16– ठेकेदार कैन्टीन में उपलब्ध सामान के मूल्य की एक सूची कैन्टीन में लगायेगा।
17– कैन्टीन में कोई भी सामान बाजार से अधिक रेट पर नही बेचेगा। सेनानायक द्वारा मनोनीत कमेटी द्वारा प्रतिमाह बाजार से जॉच कराकर विभिन्न वस्तुओं का भाव करेगी। ठेकेदार कमेटी की रिर्पोट मानने के लिये बाध्य होगा।
18– ठेकेदार कैन्टीन का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा।
19– ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, खराब सामान बेचता है, अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलती है, वाहिनी में प्रचलित नियमों को तोड़ता है, प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन करता है या ऐसा करनें के लिये किसी कर्मचारी को बढावा देता है तो सेनानायक को अधिकार होगा ठेकेदार के विरूद्ध रू0 1000– तक जुर्माना कर सकता है। ठेकेदार कैन्टीन ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि कैन्टीन समाप्त करता है तो ठेकेदार के द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
20– प्रत्येक ठेकेदार अपने अपने टेण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत होना चाहिऐ।

पत्रांकः क–05/2016
दिनांकः मार्च 11 ,2016

सेनानायक,
44वीं वाहिनी पीएसी
मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्ननिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1– पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाऐं, पुलिस तकनीकी सेवाऐं मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त टेण्डर नोटिस का विज्ञापन पुलिस विभाग की वेबसाईड पर प्रकाशित करानें की कृपा करे।
2– पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
3– जिलाधिकारी, मेरठ।
4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गा0बाद/गौ0नगर/बु0शहर/बागपत/हापुड/शामली/मु0नगर एवं सहारनपुर।
5– जिला सूचना अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं स्थानीय अखबार में प्रकाशन कराने हेतु।
6– सेनानायक, 6/41/47/49वीं वाहिनी पीएसी।
7– ठेकेदार श्री विशाल कुमार सक्सैना पुत्र श्री रामान्द, निवासी एल–1069 शास्त्री नगर, मेरठ।
8– ठेकेदार श्री भैयालाल पुत्र श्री प्रभाती लाल, बी–864 सैनिक विहार, कंकरखेडा, मेरठ।
9– ठेकेदार श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, म0नं0–14, न्यू हनुमानपुरी, एस0के0 रोड, मेरठ।
10– टेकेदार श्री नानक मित्तल, सिगनल रेजीमेन्ट मेरठ केण्ट, मेरठ।
11– टेकेदार श्री कान्तीलाल, इन्जीनियरिंग वर्कशाप मेरठ केन्ट, मेरठ।
12– टेकेदार श्री जगमोहन बंशल, बंशल केन्टीन ठेकेदार, रजबन मेरठ।
13– ठेकेदार श्री सुदेश मलिक, जागृति बिहार, मेडिकल कालेज के सामने, मेरठ।
14– ठेकेदार श्री उमाशंकर गोयल, बेगा इन्टरप्राईजेज दिल्ली रोड, मेरठ।
15– ठेकेदार कैन्टीन 6 पीएसी, मेरठ।
16– ठेकेदार श्री बजरंग लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी नागला बनेटी, जयपुर राजस्थान।
17– ठेकेदार कैन्टीन पुलिस लाइन, मेरठ।